कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Website: - www.klsgaci.edu.in

e - mail: - principal@klsgaci.edu.in दूरभाष क्रं.–0755–2970310

क्रंमाक / क्रय / 2018 / 3923 भोपाल, दिनांक 20/3/18

प्रति,

संचालक महोदय
जनसम्पर्क संचालनालय
भोपाल

विषयः–विज्ञापन प्रकाशित करवाने बाबत् ।

–:00:–

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राज्य शासन आयुष विभाग के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय चिकित्सालय हेतु दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजनान्तर्गत/पेंशनर्स हेतु औषधियों, **(2018–19 हेतु स्थानीय क्रय)**, सफाई कर्मियों हेतु निविदा आंमत्रण की 8 प्रतियां संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही हैं।

कृपया निविदा आंमत्रण राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 01 से 02 समाचार पत्रों एवं इंडिया ट्रेड जनरल में प्रकाशित कर एक–एक प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः– विज्ञापन।

o/c

21 MAR 2018
मध्यप्रदेश शासन

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
मो.नं. 9425373046

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Website: - www.klsgaci.edu.in
e - mail: - principal@klsgaci.edu.in दूरभाष क्रं.–0755–2910370

क्रंमाक / क्रय / 2018 / 2923 भोपाल, दिनांक 20/3/18

निविदा सूचना

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार वर्ष 2018–19 के लिये संबंधित फर्मो से सीलबन्द निविदायें आंमत्रित की जाती हैं:–

क्रं.	निविदा का प्रकार	निविदा शुल्क	निविदा प्राप्त करने का अंतिम दिनांक एवं समय	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	निविदा खोलने का दिनांक एवं समय
1	राज्य शासन के पेंशनर्स एवं दीनदयाल अंत्योदय योजनान्तर्गत हितग्राहियों को निःशुल्क औषधि वितरण वर्ष 2018–19 हेतु स्थानीय क्रय	1000.00	10.04.2018 दोपहर 12 बजे तक	10.04.2018 दोपहर 01 बजे तक	10.04.2018 दोपहर 02 बजे
2	संस्थान चिकित्सालय के लिये सफाई कर्मियों हेतु	1000.00	11.04.2018 दोपहर 12 बजे तक	11.04.2018 दोपहर 01 बजे तक	11.04.2018 दोपहर 02 बजे

विस्तृत विवरण एवं नियम शर्ते संस्थान बेवसाइट www.klsgaci.edu.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
मो.नं. 9425373046

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

पेंशनर्स एवं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजनान्तर्गत औषधि हेतु निविदा पत्र का प्रारूप

भाग–एक

(तकनीकी निविदा लिफाफे में रखने हेतु)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम---फर्म के मालिक/पार्टनर का नाम--------------------पिता का नाम--------------------------

2 स्थाई पता--(प्रूफ संलग्न करें)

3 वर्तमान निवास का पता--

4 दूरभाष/मोबाईल नम्बर---

5 जीवित टिन नम्बर--

(पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करे)

कार्यालय का नाम	जारी करने का क्रमांक	दिनांक

6 अमानत राशि अंको मे शब्दों मे ------------------------------------

बैक का नाम	बैक ड्राफ्ट क्रमांक	दिनांक

7 करचुकता प्रमाण–पत्र संलग्न करें...

8 वर्ष 2017–18 में टर्न ओवर की राशि---

(वाणिज्यिक कर की विवरणी की अभिस्वीकृति संलग्न करे)

9 आयकर का पैन नंबर--

(आयकर की विवरणी की अभिस्वीकृति संलग्न करे)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम--------------------------

भाग–दो

(तकनीकी निविदा का लिफाफा मे रखने हेतु)

पेंशनर्स एवं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजनान्तर्गत औषधि प्रदाय हेतु नियम एवं शर्ते

1. पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, चिकित्सालय भोपाल के लिये राज्य शासन के पेंशनर तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना अन्तर्गत निःशुल्क उपचार हेतु औषधि के क्रय करने हेतु मोहर बंद निविदायें आंमत्रित की जाती है।

2. ऐसी अपेक्षित मोहर बंद निविदायें **"कार्यालय प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, विज्ञान पहाड़ी, मैनिट के पीछे, भोपाल (म. प्र.) 462003"** के कार्यालय (कक्ष क्रमांक 01(A)) में दिनांक 10.04.2018 दोपहर 01. 00 बजे तक निविदा पेटी में अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिये। यह सुनिश्चित करना विडर्स का दायित्व है कि डाक या कोरियर या व्यक्तिगत तौर पर भेजी गयी उनकी विड प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल के कक्ष क्रमांक 01(A) की निविदा पेटी में निर्दिष्ट अंतिम तिथि व समय तक डाल दी जाये अन्यथा विड को लेट मानकर रद्द कर दिया जावेगा।

3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.04.2018 की दोपहर 12.00 बजे है तथा आवेदन तथा प्राइज बिड जमा करने की अंतिम तिथि 10.04.2018 की दोपहर 01.00 बजे तक है। निविदा दिनांक 10.04.2018 को समय दोपहर 02.00 बजे निविदाकारों द्वारा निश्चित दिनांक तथा समय तक प्राप्त निविदाएं महाविद्यालय के कांफ्रेस हाल में खोली जायेगी।

4. विड दस्तावेजों का आंमत्रण हस्तांतरणीय नहीं है।

5. राज्य शासन के पेंशनर तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की औषधि सुविधा दी जाना है। पेंशनर्स हेतु केवल शास्त्रोक्त औषधियां ही सप्लाई की जाना है।

6. देय औषधियों का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे अर्थात् एक दिवस में संबंधित चिकित्सालय के स्टोर में औषधियां प्रदाय करनी होगी। इसके लिए पृथक से कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा।

7. औषधियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य में कितना प्रतिशत छूट देय होगा। वित्तीय निविदा में खुदरा मूल्य से छूट की प्रतिशत अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, ओव्हर रायटिंग मान्य नहीं होगी।

8. औषधियों के आदेशानुसार पृथक–पृथक देयक तीन प्रतियों में संस्थान चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा।

9. औषधियों के गुणवत्ता संबंधी प्रमाणी करण चिकित्सालय के अधीक्षक के द्वारा मान्य होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

[illegible]. औषधियों का भुगतान कोषालय के माध्यम से किया जावेगा। बिलम्ब भी हो सकता है। इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11. किसी भी पेंशनर अथवा रोगी की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर आदेश तत्काल निरस्त कर दिये जावेगें एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।

12. किसी न्यायालय प्रकरण में न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

13. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।

14. दर महाविद्यालय द्वारा दिये गये वित्तीय निविदा फार्म भाग तीन पर ही मान्य होगी। दर का लिफाफा पृथक एवं अन्य दस्तावेज/ महाविद्यालय से प्राप्त रसीद की फोटो प्रति शपथ पत्र/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक इत्यादि का लिफाफा पृथक से दें। समस्त प्रमाण समिति द्वारा मान्य करने पर ही **वित्तीय निविदा का लिफाफा खोला जायेगा।**

16. औषधियां प्रदाय की अवधि जारी दिनांक से 31 मार्च 2019 तक के लिये होगी।

17. आवेदन के साथ रूपये–100000/–(रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल के नाम से देय हो अर्निस्ट मनी के रूप में संलग्न करना होगा। जिस फर्म की निविदा स्वीकृत होगी उस फर्म की अर्नेस्ट मनी अनुबंधित अवधि के बाद संतोषजनक कार्य पाये जाने पर बिना ब्याज के वापस किया जायेगा। अन्य फर्मो को तत्काल दर खुलने के पश्चात् ड्राफ्ट वापस कर दिया जावेगा।

18. जिस फर्म को औषधियां प्रदाय हेतु आदेश किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि के पूर्व शर्तो का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से औषधियां प्रदाय नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अर्नेस्ट मनी रू. 100000/–(एक लाख रूपये) राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जावेगा।

19. इच्छुक एजेन्सी/फर्म कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र राशि रू. 1000/– जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

20. वित्तीय निविदा, सील बंद लिफाफे में प्राप्त होना चाहिए।

21. वांछित सभी कम्पनियों/फर्मो/फार्मेसियों की दवायें उपलब्ध करवाना होंगी।

22. दर देने वाली फर्म का जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना तथा टिन नं. वाणिज्य कर विभाग से होना अनिवार्य है।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा।

24. फर्म का वार्षिक टर्न ओव्हर न्यूनतम 10 लाख होना अनिवार्य है।

25. प्रधानाचार्य को किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

26. भाग–एक एवं भाग–दो को एक लिफाफा में बंद करके एवं उस पर **तकनीकी निविदा, पेंशनर एवं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2018–19** लिखना अनिवार्य होगा।

27. भाग–तीन को एक लिफाफा में बंद करके एवं उस पर **वित्तीय निविदा पेंशनर एवं दीनदयाल अंत्योदय उपचार 2018–19** लिखना अनिवार्य होगा।

28. तकनीकी निविदा का लिफाफा पहले खोला जायेगा तथा समिति द्वारा मान्य करने के बाद ही वित्तीय निविदा का लिफाफा खोला जायेगा।

29. आवदेनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि बाद में जानकारी प्राप्त होती है, तो अर्नेस्ट मनी राजसात कर संबधित की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

30. निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि होने का अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन्हे शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।

31. जिस फर्म द्वारा खुदरा मूल्य पर छूट का प्रतिशत अधिक होगा उसी फर्म की निविदा स्वीकार होगी, यदि निविदा की छूट का प्रतिशत समान होता है, तो उसे लाटरी सिस्टम से खोला जावेगा। जिसे सभी को मान्य करना होगा।

//शपथ–पत्र//

प्रमाणित किया जाता है कि मैं...
पिता श्री...निवासी ....
....
उम्र...............वर्ष है। मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो का पूर्ण होश–हवास में अध्ययन कर लिया गया है, एवं मुझे समस्त शर्ते मान्य है। शर्ते का अनुपालन नहीं करने पर मेरी निविदा अमान्य कर दी जाये।

स्थानः–
दिनांकः–

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर...............................
निविदाकर्ता का नाम.....................................
पता...
मोबाइल नं..

भाग–तीन
(वित्तीय निविदा के लिफाफे में रखने हेतु)

मैं हस्ताक्षरित यह प्रस्ताव राज्य शासन के पेंशनर्स एवं गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजनान्तर्गत प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल हेतु खुदरा मूल्य प्रस्तुत करता हूं:-

	प्रतिशत		जीएसटी टैक्स
	अंकों में	शब्दों में	
खुदरा मूल्य पर अधिकतम छूट			

व्यक्तिगत जानकारी :-

1. निविदाकर्ता का नाम...
2. स्थायी पता (प्रूफ के साथ)..
3. पत्राचार हेतु पता :...
   ....

हस्ताक्षर.......................................
नाम..
(फर्म की मुद्रा सहित)...